उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को धनबाद जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05. 2013 के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, धनबाद की अध्यक्षता में **जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC)** का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 129 (NCD) धनबाद, दिनांकः–19.09.2013 द्वारा किया गया था। दिनांक 29.01.2014 को आयोजित जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में इस समिति का विस्तारीकरण कर निम्न पदाधिकारियों को भी जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

1. अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदाधिकारी ,तंबाकू नियंत्रण धनबाद – सदस्य–सह–समन्वयक
2. उप–विकास आयुक्त, धनबाद। – सदस्य
3. अधीक्षक, पाटलीपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद। – सदस्य
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद – सदस्य।
5. अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, धनबाद। – सदस्य
6. जिला परिवहन पदाधिकारी – सदस्य।
7. जिला कार्यकम प्रबंधक,जिला स्वा0 समिति, धनबाद। – सदस्य।
8. जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 धनबाद – सदस्य।
9. प्रतिनिधि सोशियो इकोनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपेंट सोसाईटी (SEEDS), – सदस्य।
10. सचिव, भारतीय रेडकॉस समिति, धनबाद – सदस्य।
11. अध्यक्ष, आई0एम0ए0, धनबाद। – सदस्य

नवगठित जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति में विभिन्न विभागो एवं स्वंय सेवी संस्थाओ के निम्नांकित सदस्य होगें।

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद : अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक, धनबाद : सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि0 पदा0, धनबाद : सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष नोडल पदा0,तंबाकू नियंत्रण धनबाद : सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक
5. उप–विकास आयुक्त, धनबाद : सदस्य
6. जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, धनबाद : सदस्य–सह–समन्वयक
7. अधीक्षक, पाटलीपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद : सदस्य
8. अपर मुख्य चिकित्सा पदा0, धनबाद : सदस्य
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद : सदस्य
10. जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद : सदस्य
11. जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद : सदस्य
12. जिला खाद्य सुरक्षा पदा0 धनबाद : सदस्य
13. औषधि निरीक्षक, धनबाद : सदस्य
14. अध्यक्ष, आई0एम0ए0, धनबाद : सदस्य
15. सचिव, भारतीय रेडकॉस समिति, धनबाद : सदस्य
16. सचिव, रोटरी क्लब, धनबद : सदस्य
17. प्रतिनिधि, सोसियो इकानोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) : सदस्य
18. प्राचार्य, पी0के0रॉय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद : सदस्य
19. विभागाध्यक्ष(मनोविज्ञान) पी0के0रॉय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद : सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित हैं:–

- COTPA -2003 को पूरे धनबाद जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से कियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- धनबाद जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहें हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फैसला लिया गया है।
- तंबाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष/surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

Sd/-
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 351/जि०/ धनबाद, दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार International Union Against Tuberculosis & Lungs Disease (The Union), New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत **अपर समाहर्त्ता(विधि व्यवस्था), धनबाद को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण नामित किया जाता है।** जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही धनबाद जिले को धुम्रपान मुक्त जिला धोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें। यह आदेश तत्‌कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 354/गो० / **धनबाद** **दिनांक** 20/02/2014

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला धनबाद/जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद/अधीक्षक, PMCH, धनबाद/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, धनबाद/ सभी कार्यालय प्रधान, धनबाद जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, धनबाद/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), धनबाद, जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, धनबाद, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद/उप–विकास आयुक्त, धनबाद/ पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society (SEEDS)एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग,धनबाद।

ज्ञापांक................(NCD)/धनबाद, दिनांक............./

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:–

1. अपर समाहर्त्ता (वि0व्य0)–सह–विशेष नोडल पदा0 – अध्यक्ष
2. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) – सदस्य
3. जिला परिवहन पदाधिकारी – सदस्य
4. अनुमण्डल पदाधिकारी – सदस्य
5. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
6. औषधि निरीक्षक – सदस्य
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) – सदस्य
9. श्रम अधीक्षक, धनबाद – सदस्य
10. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य
11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) – समन्वयक

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण **इस छापामार दस्ते के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यो के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित करेंगे।** साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

10/06/14

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति
धनबाद।

ज्ञापांक......110 (NCD)/ धनबाद दिनांक....10/06/2014

प्रतिलिप : पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) एवं सभी थानाध्यक्षो एवं सम्बंधित पुलिस पदाधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ निर्देश देने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता (वि0व्य0) सह विशेष नोडल पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित साथ ही निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक–एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को तामिला कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यो को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

10/06/14

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति
धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA.2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ **प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंधनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक)** की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	–	समन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
5. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	–	सदस्य
6. संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार छापामारी की प्रकिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 357/गो0/ **धनबाद** **दिनांक** 20/02/2014

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश किया जाता है कि इस आदेश की एक–एक प्रति सभी संबंधित पदा0 को तामिला कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाए साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों /पुलिस निरीक्षकों /पुलिस उपाधीक्षकों को तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ निदेश देने की कृपा की जाए/ सिविल सर्जन धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio-Economic and Educational Develpment Society एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार International Union Against Tuberculosis & Lungs Disease (The Union), New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंधनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200 रूपये

तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिचित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 353/गो0 **/ धनबाद, दिनांक** 20/02/2014

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, धनबाद / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, धनबाद / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, जिला धनबाद / अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद / जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, धनबाद / सभी सी0डी0पी0ओ0, धनबाद / श्रम अधीक्षक, धनबाद / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), धनबाद / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, धनबाद / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानो पर इस आशय का बोर्ड / होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार International Union Against Tuberculosis & Lungs Disease (The Union), New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

धनबाद जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार *"धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"*।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं धनबाद जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 355/गो0 / धनबाद दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : धनबाद जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचनें वाले दूकानदारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशासक, धनबाद नगर निगम, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, धनबाद/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, धनबाद/ सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, जिला धनबाद/ अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, धनबाद/ सभी सी0डी0पी0ओ0, धनबाद/ श्रम अधीक्षक, धनबाद / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), धनबाद/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, धनबाद/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :–

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 356/गो0 / धनबाद, दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, धनबाद / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, धनबाद / सिविल सर्जन, धनबाद / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद / जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद / सभी सी0डी0पी0ओ0, धनबाद / श्रम अधीक्षक, धनबाद / पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

20/02/14

उपायुक्त, धनबाद।

उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेष दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं **100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिष्चित करें**। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उददेश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के

माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 352/गो०, / धनबाद, दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, धनबाद/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण,कार्यकम धनबाद/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Develpment Society एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार International Union Against Tuberculosis & Lungs Disease (The Union), New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।